

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम :-

मा0 मुख्य मन्त्री घोषणा सेख्या -418/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 7.550 किमी0 में पड़ने वाली 3.20 है0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 को हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 19-06-2018 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मदन राम (वन दरोगा), राजस्व विभाग की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह (राजस्व उप निरीक्षक), प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री राहुल कुमार (कनिष्ठ अभियन्ता) एवं (सीमान्त कन्स्ट्रक्शन कम्पनी) की ओर से श्री अशोक सिंह कुर्वर द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0, सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.75 है0, वन पंचायत भूमि 0.045 है0 एवं नाप भूमि 4.095 है0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से खती गाँव एवं बुंगली की 1850 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 59 वृक्षों पर वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(2.75 है0) प्रमाणित

आनन्द स्वकप

अनिल कनौजिया

सहायक अभियन्ता

अ0 ख0 लो0 नि0 वि0

बेरीनाग (पिथौरागढ़)

जिलाधिकारी

पिथौरागढ़

दि0 21-3-21

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो)

दिनेश चन्द्र

विश्व सिंह

मदन राम

ह0/-

वृक्षोपनिवेश

दि0 19-6-18

वृक्षोपनिवेश

दि0 19-6-18

दि0 19-6-18

दि0 19-6-18

दि0 19-6-18

दि0 19-6-18

दि0 19-6-18

दि0 19-6-18

दि0 19-6-18

दि0 19-6-18